क्लीनिकल परीक्षण, नैतिकता और अप्रकाशित आंकड़े

क्लीनिकल परीक्षण सीधे इंसानों पर किए जाने वाले परीक्षणों को कहते हैं। ये परीक्षण किसी दवा या किसी तकनीक के हो सकते हैं। ताज़ा सूचनाओं से पता चलता है कि ऐसे परीक्षणों के दौरान लाखों मरीज़ शामिल रहे हैं और उनके सामने संभावित हानि का खतरा बना रहता है। मगर खेद की बात है कि इनमें से कई परीक्षणों के आंकड़े प्रकाशित ही नहीं किए गए हैं।

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध पत्र में न्यू जर्सी के रोवन विश्वविद्यालय के कूपर मेडिकल स्कूल के क्रिस्टोफर जोन्स ने बताया है कि यूएस सरकार की वेबसाइट ClinicalTrials.gov पर पंजीकृत 585 क्लीनिकल परीक्षण आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में सम्पन्न हो चुके थे। मगर इनमें से 171 यानी 29 प्रतिशत ऐसे थे जिनके बारे में कोई शोध पत्र प्रकाशित नहीं हुआ था। यह सही है कि इनमें से कुछ ने अपने परिणाम इसी वेबसाइट पर रिपोर्ट किए हैं मगर 133 परीक्षण ऐसे थे जिनके बारे में न तो कोई रिपोर्टिंग की गई है, और न ही किसी शोध पत्रिका में कोई पर्चा प्रकाशित किया गया है।

कई चिकित्सा शोधकर्ताओं का मत है कि जिन परीक्षणों में कोई उपचार कारगर साबित नहीं होता उनके अप्रकाशित रहने की संभावना काफी अधिक रहती है। इसके कारण चिकित्सा साहित्य में विकृति पैदा होती है क्योंकि सिर्फ कारगर उपचार ही प्रकाशित होते हैं। इससे मरीज़ को भी हानि होती है क्योंकि उपचारों के सौ फीसदी कारगर होने का मुगालता बनता है।

एक चिंता यह भी है कि दवा उद्योग ऐसे परिणामों को ठंडे बस्ते में डाल देता है जो उसके उत्पादों के इस्तेमाल का समर्थन नहीं करते। जोन्स के अध्ययन में अप्रकाशित परीक्षणों में से 150 उद्योगों द्वारा प्रायोजित थे, 11 यूएस सरकार द्वारा प्रायोजित थे जबकि 20 को अन्य स्रोतों से वित्तीय समर्थन मिला था।

उक्त शोध पत्र के लेखकों का विचार है कि यदि शोधकर्ता अपने निष्कर्ष प्रकाशित नहीं करते तो इसमें कुछ ज़्यादा बुनियादी नैतिक समस्याएं भी हैं। उनके मुताबिक "परीक्षण के आंकड़ों को प्रकाशित न करना परीक्षण में शामिल व्यक्तियों के प्रति अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह न करने के बराबर है। जब परीक्षण के आंकड़े अप्रकाशित रहते हैं तो इस परीक्षण में शामिल व्यक्तियों का मकसद पूरा नहीं हो पाता।" एक अनुमान के मुताबिक उपरोक्त परीक्षणों में सहभागी व्यक्तियों की कुल संख्या तीन लाख के आसपास रही होगी।

वैसे युरोपियन मेडिसिन्स एजेंसी के कुछ अधिकारियों के अनुसार क्लीनिकल परीक्षण के आंकड़ों तक पहुंच को सीमित रखने का दवा उद्योग का आग्रह शायद अकारण है। उनके मुताबिक ऐसे आंकड़ों को सार्वजनिक दायरे में रखने से सबका भला ही होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***